देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 649 /भू अ० दिनांक : 11/9/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–तेतरिया, थाना–देवघर, थाना सं०–605, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर–मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–तेतरिया, थाना–देवघर, थाना सं०–605, अंचल–देवघर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.33 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25	2	रैयती	बाड़ी–2	0.15	विलखी देवी पति स्व० चुरी महतो वो चीमनी देवी पति स्व० लुटन महतो।	भितिया	जलाथर लखराज	जमुनया टांड़	असहना चमरकनाली।
2	25	14	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव				
3	25	15	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव				
4	25	43	रैयती	बाड़ी–2	0.025	तथैव				
5	12	12	रैयती	बाड़ी–2	0.055	मुसो महतो वो चानो महतो पे० स्व० केटु महतो वो ललीता देवी पति गोविन्द महतो वो ठाकुर महतो वो राधेश्याम महतो वो बिहारी महतो पे० स्व० भागु महतो।				
6	12	23	रैयती	बाड़ी–2	0.015	तथैव				
7	12	53	रैयती	बाड़ी–2	0.015	तथैव				
8	12	42	रैयती	बाड़ी–2	0.08	तथैव				
9	06	21	रैयती	बाड़ी–2	0.02	काशी महतो प्रायाग महतो माता स्व० खीखरी महतवाईन।				
10	06	54	रैयती	बाड़ी–2	0.01	तथैव				
11	8	26	रैयती	बाड़ी–2	0.04	जालेश्वर महतो पे० स्व० बुधनाथ महतो वो चिन्तामणी महतो पे० स्व० बाबूलाल महतो वो हुबलाल महतो वो जगदीश महतो वो जागेश्वर महतो पे० स्व० मटुकी महतो वो गोवर्धन महतो वो राधे महतो वो नुनु महतो पे० स्व० टेकलाल महतो वो बालदेव महतो वो जामुन महतो वो सुरेश महतो वो हरि महतो पे० स्व० छेदी महतो।				
12	8	56	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव				
13	32	59	रैयती	बाड़ी–1	0.04	फागु महतो पे० स्व० अमीर महतो वो जामुन महतो पे० स्व० भोला महतो वो नवीन महतो पे० स्व० झारू महतो।				
14	3	377	रैयती	बाड़ी–2	0.05	खुखन महतो वो बाचो महतो वो दिनेश महतो वो फुलेश्वरी देवी माता स्व० उगिया महतवाईन वो रीखीया देवी पेक्त हारिल महतो।				
15	18	387	रैयती	बाड़ी–1	0.035	कांग्रेस दास वो मनीजर दास वो महंगु				

09-09-2017

						दास वो दिनेश्वर दास पे० स्व० ठाकुर दास वो अलवा देवी पति स्व० आनन्दी महरा।				
16	18	391	रैयती	धानी–2	0.05	तथैव				
17	21	388	रैयती	बाड़ी–1	0.03	नकुल दास वो सहदेव दास पे० स्व० गुदर महरा वो वरूण दास पे० स्व० राम महरा वो नागो दास पे० स्व० दुखन दास वो मुनेश्वर दास वो गोपाल दास पे० स्व० जीवन दास।				
18	10 /क	6	रैयती	बाड़ी–2	0.07	झुला देवी पति स्व० बालेश्वर महतो वो रामु महतो माता महली महतवाईन वो मिश्री मांझी माता स्व० लोधुवा महतवाईन।				
19	10	20	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव				
20	10	393	रैयती	धानी–1	0.04	तथैव				
21	10 /क	376	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव				
22	10 /क	963	रैयती	बाड़ी–1	0.02	तथैव				
23	17	394	रैयती	धानी–3	0.03	छोटन दास वो मिठू दास पे० स्व० खुखरू महरा।				
24	24	400	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
25	24	401	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
26	24	402	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
27	24	403	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
28	24	404	रैयती	बाड़ी–1	0.01	तथैव				
29	02	13	रैयती	बाड़ी–2	0.05	रनथू महतो वो भुनेश्वर महतो वो गोवर्धन महतो पे० स्व० मुसो महतो।				
30	02	58	रैयती	बाड़ी–1	0.03	तथैव				
31	28	22	रैयती	बाड़ी–2	0.025	मुसो महतो वो चानो महतो पे0 केटु महतो वो ललीता देव पति स्व0 गोविन्द महतो वो ठाकुर महतो वो राधेश्याम महतो वो बिहारी महतो पे0 स्व0 भागु महतो वो गुलाम महतो माता स्व0 सितुआ देवी वो काशी यादव वो प्रयाग महतो पे0 स्व0 खिखरी महतो।				
32	28	55	रैयती	धानी–2	0.01	तथैव				
33	07	27	रैयती	बाड़ी–2	0.015	गुजर महतो वो वकिल महतो वो महावीर महतो पे0 स्व0 नीलकंठ महतो।				
34	07	28	रैयती	बाड़ी–2	0.025	तथैव				
35	29	382	रैयती	बाड़ी–1	0.14	तारणी दास पे0 चुड़कू दास वो हरिल महरा वो सुकदेव दास वो फागु दास पे0 किशोरी दास वो मोती दास पे0 रामधन दास।				
36	29	399	रैयती	बाड़ी–2	0.015	तथैव				
37	13	413	रैयती	बाड़ी–2	0.035	मोता दास पे0 स्व0 उदेश्वर दास।				
				कुल रकवा–	**1.33**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त

08-08-2017

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक ... 649 ... / भू अ0, देवघर, दिनांक ... 11/9/17 ...

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।